रजिस्ट्रर्ड सं. डी-(डी एन)-128/89 REGISTERED No. D—(DN)—128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2, 1989 (अग्रहायण 11, 1911)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2, 1989 (AGRAHAYANA 11, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	79
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1227
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1583
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	—
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	—
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	931
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1025
भाग III—अखण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	173
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को निभाने वाली अनुपूरक*	

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	79
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1227
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	393
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of Indi (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	273
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	317
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	329
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	173
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 30 अक्तूबर 1989

सं० 15(1)/89–बी० सू० का०—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 15/1/89–बी० सू० का० दिनांक 5 मई, 1989 के द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में गठित ग्रामीण रोजगार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेयजल आपूर्ति, वानिकी तथा शिक्षा संबंधी 5 उप समूहों की अवधि को, जिसके अनुसार उन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि, अर्थात् दिनांक 4–8–1989 तक अपनी अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करनी थी, जिसे 4–8–1989 से तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, दिनांक 3–11–1989 से 30–11–1989 तक और बढ़ाया जाता है।

सं० 15(1)/89–बी० सू० का०—ग्रामीण रोजगार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेय जल आपूर्ति, वानिकी और शिक्षा संबंधी पांच उप समूहों का गठन करने वाली इस मंत्रालय की दिनांक 5 मई, 1989 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को वानिकी उप समूह के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है :—

1. श्री किशोर संत,
   उदयेश्वर विकास मंडल,
   11–ए, फतेहपुर, उदयपुर जिला (राजस्थान)
2. श्री मोहन हीराबाई हीरा लाल,
   वृक्ष मित्र, गढ़चिरोली, महाराष्ट्र
3. श्री नारायण बैनर्जी,
   नारी विकास संस्थान,
   गांव—झिलमिली, जिला–बांकुरा, पश्चिमी बंगाल
4. श्रीमती मंजू राज़,
   स्वनियोजित महिला संघ,
   स्वनियोजित महिला संघ सेवा स्वागत केन्द्र,
   सामने लोक मान्य तिलक बंगलद्रा,
   अहमदाबाद–380001।
5. श्री घनश्याम,
   लोक जागृति केन्द्र, मधुपुर, बिहार।
6. श्री एम० एस० खानचंदानी, परामर्शदाता
   बंजरभूमि और वानिकी विकास कार्यक्रम,
   4, मधुबन समिति,
   तपेदिक अस्पताल के मकानों के पीछे,
   गोत्री रोड़, बड़ौदा पिन–390015।

डा० एस० एन० सर्राफ, उप–कुलपति, श्री सत्य साई उच्चशिक्षण प्रशांति निलायम संस्थान, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश को शिक्षा उप–समूह के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

कल्याण विश्वास, संयुक्त सचिव

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 1989

शुद्धि पत्र

विषय:—भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन।

सं० डब्ल्यू० एम० 2(15) 188—भारत के राजपत्र, भाग I, खण्ड 1 तारीख 15 जुलाई, 1989 को प्रकाशित, भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) के संकल्प में :—

(1) प्रारम्भिक पैरा में तीसरी पंक्ति में—
12 मार्च, 1983 के स्थान पर 27 नवम्बर, 1984 पढ़ें।

(2) दसवीं पंक्ति में—
डब्ल्यू० एम० 9(5) 184 के स्थान पर डब्ल्यू० एम० 2(5) 184 पढ़ें।

श्रीमती एम० नायर, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 1989

संकल्प

सं० 18–5/85–सी० ए०–5—भारत सरकार ने दिनांक 16 सितम्बर, 1982 के संकल्प संख्या 18–1/82–सी० ए०–1 द्वारा गठित भारतीय चावल विकास परिषद का तत्काल से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित परिषद का निम्नलिखित रूप में गठन किया जाएगा :—

1. अध्यक्ष : एक गैर सरकारी व्यक्ति, जो भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा।
2. उपाध्यक्ष : कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) नई दिल्ली।
3. सदस्य:

(क) संसद सदस्य: तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से) जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जाएंगे।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि: निम्न राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे संबंधित राज्य सरकार नामजद करेगी।

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार

4. हरियाणा
5. जम्मू व कश्मीर
6. कर्नाटक
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. उड़ीसा
11. पंजाब
12. उत्तर प्रदेश
13. तमिलनाडु
14. पश्चिम बंगाल

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि:

1. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली या उनका नामजद व्यक्ति ।
2. संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और सहकारिता विभाग)
3. अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली का उनका प्रतिनिधि ।
4. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ।
5. निदेशक, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ।
6. परियोजना निदेशक, अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना, हैदराबाद ।
7. संयुक्त आयुक्त (एप्० सी० आई०) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।
8. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।
9. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।
10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि: चावल पैदा करने वाले निम्नलिखित प्रमुख राज्यों से उत्पादकों के चौदह प्रतिनिधि जिन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारें नामजद करेंगी :

1.	आन्ध्र प्रदेश	एक प्रतिनिधि
2.	असम	—तदैव—
3.	बिहार	—तदैव—
4.	हरियाणा	—तदैव—
5.	जम्मू व कश्मीर	—तदैव—
6.	कर्नाटक	—तदैव—
7.	केरल	—तदैव—
8.	मध्य प्रदेश	—तदैव—
9.	महाराष्ट्र	—तदैव—
10.	उड़ीसा	—तदैव—
11.	पंजाब	—तदैव—
12.	उत्तर प्रदेश	—तदैव—
13.	तमिलनाडु	—तदैव—
14.	पश्चिम बंगाल	—तदैव—

(ङ) कर्मचारियों के प्रतिनिधि:

1. फार्मों में काम करने वाले कर्मचारी — एक
2. फैक्टरियों में काम करने वाले कर्मचारी — एक

(च) राइस मिल्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि ।

(छ) ऐसे और व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर नामजद करें ।

4. पर्यवेक्षक:

(जो कि परिषद के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु जिन्हें परिषद के विचार-विमर्श में सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा) ।

1. अध्यक्ष, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नई दिल्ली या उसका नामजदव्यक्ति ।
2. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली या उनका नामजद व्यक्ति ।

5. सदस्य सचिव: निदेशक, चावल विकास निदेशालय, पटना परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

2. परिषद का सलाहकार निकाय होगी, जो निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(1) केन्द्रों और राज्य क्षेत्रों में चावल के विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना तथा चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना ।

(2) चावल के उत्पादन तथा विपणन और चावल के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से संबंधित समस्याओं पर विचार करना तथा इन मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देना ।

(3) देशीय तथा निर्यात मंडियों में चावल की मांग पर विचार करना तथा तदनुसार चावल के उत्पादन कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन करने के बारे में सरकार को सलाह देना ।

(4) चावल के उत्पादन के संबंध में छोटे तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना तथा उन्हें पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना ।

(5) अनुसंधान और चावल विकास के कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना तथा चावल की क्वालिटी और उसकी उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के संबंध में सलाह देना, और

(6) समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अन्य ऐसे सम्बद्ध मामलों पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद की विशिष्ट मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए स्थाई समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति नियुक्त करने और आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. इस परिषद की उन क्षेत्रों में जहां चावल पैदा होता है, अनुसंधान व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में समय-समय पर बैठकें हुआ करेंगी और परिषद भारत सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करेगी ।

5. परिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि उसे भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा समाप्त अथवा पुनर्गठित कर दिया जाए । परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का सेवाकाल परिषद में उनके नामजद होने की तारीख से तीन वर्ष का होगा । यह अवधि भारत सरकार के विशिष्ट आदेश से घटाई या बढ़ाई जा सकेगी ।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए जाने वाले परिषद के ऐसे सदस्यों की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर स्वत: समाप्त हो जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एस० वी० गिरी, अपर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 1989

संकल्प

सं० 3/8/89-भूजल—केन्द्रीय भूजल बोर्ड के कार्यों की पुनरीक्षा करने हेतु गठित उच्चस्तरीय बहु-विषयक समिति के संबंध में दिनांक 11 सितम्बर 1989 के संकल्प सं० 3/8/89-भूजल के आंशिक संशोधन में पैरा 3 में बताए गए विचारार्थ विषयों को निम्नवत् पढ़ा जाए :—

पैरा 3 समिति निम्न कार्य करेगी.

(क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड के संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों की पुनरीक्षा तथा किस सीमा तक वे पूरे हो गए हैं, इसका मूल्यांकन करना।

(ख) भूजल प्रबन्ध और पूर्वानुमान आवश्यकताओं, पंचायत संस्थाओं की उपस्थिति, अन्य संगठनों/मंत्रालयों के साथ सम्पर्क, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों की भूमिका सहित भावी आवश्यकताओं तथा विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित लक्ष्यों और उद्देश्यों का सुझाव देना।

(ग) इसके कार्यों और दायित्वों की दृष्टि से केन्द्रीय भूजल बोर्ड की संगठनात्मक संरचना की पुनरीक्षा करना तथा सुधार के लिए सुझाव देना।

(घ) केन्द्रीय और राज्य भूजल संगठनों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के लिए सुझाव देना।

संकल्प के पैरा 5 को निम्नवत् पढ़ा जाए:

5. समिति इसके कार्यों की कार्यप्रणाली तैयार करेगी जिसमें केन्द्रीय और राज्य संगठन शैक्षिक संस्थाओं आदि का दौरा करना और उसके साथ विचार-विमर्श करना शामिल हो सकता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति राज्य सरकारों, संबंधित केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों को भेजी जाए।

अभय प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Dehli-110001, the 30th October 1989

No. 15(1)/89-TPP.—The term of the five Sub-Groups on Rural Employment, Health & Family Welfare, Drinking Water Supply, Forestry and Education constituted in the Ministry of Programme Implementation vide this Ministry's Notification No. 15(1)/89-TPP dated 5th May, 1989, under which they were to make final recommendations within a period of 3 months, from the date of this Notification, i.e. by 4-8-1989, which was extended by a period of 3 months from 4-8-1989, is further extended from 3-11-1989 to 30-11-1989.

No. 15(1)/89-TPP.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 5th May, 1989 constituting five Sub-Groups on Rural Employment, Health & Family Welfare, Drinking Water Supply, Forestry and Education, the following are nominated as Members of the Sub-Group on Forestry :—

1. Shri Kishore Saint,
   Udeshwar Vikas Mandal,
   11-A, Fatchpur,
   Udaipur Distt. (Rajasthan)

2. Shri Mohan Hiraby Hiralal,
   Vriksha Mitra, Gadchiroli,
   Maharashtra.

3. Shri Narayan Banerjee,
   Nari Vikas Sansthan,
   Vill. Jhilmili, Distt. Bankura,
   West Bengal.

4. Smt. Manju Raju,
   Self Employed Women's Association,
   SEWA Reception Centre,
   Opp. Lok Manya Tilak Baug, Bhadra,
   Ahmedabad-380001.

5. Shri Ganshyam,
   Lok Jagriti Kendra,
   Madhupur, Bihar.

6. Shri M. S. Khanchandani,
   Consultant,
   Wastelands & Forestry Development Programmes,
   4, Madhuvan Society,
   Behind T B. Hospital Qtrs.,
   Gotri Road, Baroda-390015.

2. Dr. S. N. Saraf, Vice-Chancellor of Shri Satya Sai Institute of Higher Learning Prasanthinilayam, Anantpur, Andhra Pradesh is nominated as Member of the Sub-Group on Education.

KALYAN BISWAS, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 22nd November 1989

RESOLUTION

No. 18-5/85-CA.V.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Rice Development Council constituted vide Resolution No. 18-1/82-CA.V dated the 16th September, 1982, with immediate effect. The reconstituted Council will be as follows :—

I. *CHAIRMAN*

A non-official to be nominated by the Government of India.

II. *VICE-CHAIRMAN*

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture Deptt. of Agri. & Cooperation, New Delhi.

III.. *MEMBERS*

A. *Members of Parliament*

Three members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

B. *Representatives of State Government*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture & Cooperative to be nominated by the respective State Governments :—

1. Andhra Pradesh
2. Assam
3. Bihar
4. Haryana
5. Jammu & Kashmir
6. Karnataka
7. Kerala
8. Madhya Pradesh
9. Maharashtra
10. Orissa
11. Punjab
12. Uttar Pradesh
13. Tamil Nadu
14. West Bengal

C. *Representatives of Central Government*

1. Director General,
Indian Council of Agricultural Research,
New Delhi or his nominee.
2. J. S. (Extn.),
Ministry of Agri.,
Department of Agriculture & Cooperation
3. Economic and Statistical Adviser
Dte. of Economics & Statistics,
New Delhi.
4. Agricultural Marketing Adviser,
Department of Rural Development.
5. Director,
Central Rice Research Institue,
Cuttack,
6. Project Director,
All India Coordinated Rice Improvement Project,
Hyderabad.
7. Joint Commissioner (F.C.I.),
Ministry of Agriculture,
Deptt. of Agri. & Cooperation,
New Delhi.
8. One representative of Planning Commission.
9. One representative of the Ministry of Food & Civil Supplies, Deptt. of Food,
New Delhi.
10. One representative of the Ministry of Food & Civil Supplies,
Deptt. of Civil Supplies,
New Delhi.

D. *Representatives of Growers*

Fourteen representatives of the Growers to be nominated by the respective State Governments from the following rice growing States :—

1. Andhra Pradesh—One representative
2. Assam—One representative
3. Bihar—One representative
4. Haryana—One representative
5. Jammu & Kashmir—One representative
6. Karnataka—One representative
7. Kerala—One representative
8. Madhya Pradesh—One representative
9. Maharashtra—One representative
10. Orissa—One representaitve
11. Punjab—One representaive
12. Uttar Pradesh—One representative
13. Tamil Nadu—One representative
14. West Bengal—One representative

E. *Representatives of Workers*

1. Worker engaged in Farms—One
2. Worker engaged in Factories—One

F. One representative from Rice Millers' Association.

G. Such additional persons as may from time to time be nominated by the Government of India.

IV. *OBSERVERS*

(Who would not be members of the Council but would be invited to assist the Council in its deliberations)

1. Chairman, Commission for Agricultural Costs and Prices, New Delhi or his nominee.
2. Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Deptt. of Agriculture & Cooperation, New Delhi.
3. Chairman, National Seeds Corporation Ltd., New Delhi or his nominee.

V. *MEMBER SECRETARY*

Director, Dte. of Rice Development, Patna, will function as the Member Secretary of the Council.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

1. To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of rice, review progress thereof time to time and recommend measures for increasing the production of rice;
2. To consider problems relating to the production and marketing of rice and remunerative price to rice growers and advise government in these matters;
3. To consider demands for rice in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in rice production programmes accordingly;
4. To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of rice production and suggest suitable measures for meeting the same;
5. To facilitate coordination between research and development programmes relating to rice and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of rice
6. To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committees, Technical Committees and ad-hoc Committees to look into issues of special importance and co-opt members where necessary, such as representatives of Agricultural Universities and other special interests for special purpose.

4. The Council will meet periodically in important centres of Research, trade and industry in rice growing areas and will make its recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished or reconstituted by a Resolution of the Government of India. The terms of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those Members of the Council who are nominated from among the members of Parliament will cease to be members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories, Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information.

S. V. GIRI, Addl. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 3rd November 1989

RESOLUTION

No. 3/8/89-GW.—In partial modification of Resolution No. 3/8/89-GW, dated the 11th September, 1989, setting-up a High Level Multi-Disciplinary Committee to review the functioning of the Central Ground Water Board, Para 3, indicating the terms of reference, may be read as under :

Para 3. The Committee will :

(a) Review the organisational goals and objectives of the Central Ground Water Board and assess the extent to which they have been fulfilled;

(b) Suggest revised goals and objectives keeping in view the future needs and developmental possibilities, including Ground Water Management, and Forecasting requirements, presence of Panchayat Institutions, tie up with other Organisations/Ministries, as also the role of the private and voluntary sectors;

(c) Review the Organisational structure of the Central Ground Water Board and suggest improvements, *vis-a-vis* its functions and responsibilities;

(d) Suggest the roles to be played by the Central and State Ground Water Organisations.

Para 5 of the Resolution may be read as under :

5. The Committee would lay down its procedure of work which may include discussions or visits to Central and State Organisations, academic institutions, etc.

ORDER

ORDERED that the above Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments/concerned Central Government Agencies.

ABHAY PRAKASH, Jt. Secy.

PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 1989